

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4713 /

जबलपुर, दिनांक 6/10/2018

II-15-2/79 Pt- IX

श्री आशय दास, एकजामिनर, आई.एल.आर., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3/9/2001/1/3 दिनांक 25.07.2001, 07.08.2001 में दिए गये निर्देश एवं ज्ञापन क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 दिनांक 9 फरवरी 2017 में निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक जीवित पुत्री के रहते हुए पत्नि का एल.टी.टी. ऑपरेशन कराये जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षण नियमों के अनुसार ऑपरेशन दिनांक 09/05/2018 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पू0 क्रमांक C/4714 /

जबलपुर, दिनांक 6/10/2018

II-15-2/79 Pt-IX

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. अनुभाग अधिकारी, लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन निर्धारण/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री आशय दास, एकजामिनर, आई.एल.आर., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

:: - ::

//AL //